

सूंपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं. ३८३ दिनांक २०१५ डॉ. C.C. Mahadev Teachers आवेदक सं. ३८३ दिनांक २०१५

चूंकि श्री..... Kunel Singh Ali..... ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित संव्यवहारों अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। Nagan mode chad
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में वहीं ।। में और उससे अनुक्रमणियों ।। में ता०.....1995 से ता०.....25/15.....तक तलाश की गयी और ऐसा तलासी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
(ख) 1) बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान अवधी दर्ज करें वशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।
2) पटटे की दशा में पटटे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सदव्यवहार और अवभारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्तियों ने प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) Cecile

तलासी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- 00914

कार्यालय :- D.S.R Book

तारीख :- 21/11/2015



निबन्ध पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र के सदव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्ता वेजों में दिया गया हो तो वैसी दस्तावेजों सदव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निबन्धन अधिनियम को 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

[क] किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उपेक्षित तलासी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

[ख] और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक की अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उनके द्वारा ढुँढे गये सदव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुँढ़ गये ऐसे सदव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त सम्पत्ति पर पड़ता हो।